रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-30012024-251636
CG-DL-W-30012024-251636

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 02] नई दिल्ली, जनवरी 21, —जनवरी 27, 2024, शनिवार/माघ 1—माघ 7, 1945
No. 02] NEW DELHI, JANUARY 21, —JANUARY 27, 2024, SATURDAY/MAGHA 1—MAGHA 7, 1945

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रुप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

पर्यटन मंत्रालय

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2024

सा.का.नि. 05.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पर्यटन विभाग (मुख्यालय) श्रेणी-3 पद भर्ती नियम, 1961 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, पर्यटन मंत्रालय में ज्येष्ठ सचिवालय सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:--

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यटन मंत्रालय (मुख्यालय) ज्येष्ठ सचिवालय सहायक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण ,वेतन मैट्रिक्स में स्तर :** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति ,आयु-सीमा ,अर्हताएं आदि :** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता :** वह व्यक्ति--

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं ,विवाह किया है ,या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति :** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय हैं कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति :** इन नियमों की कोई बात ,ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ज्येष्ठ सचिवालय सहायक	*15 (2023) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100/-)	अचयन

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(6)	(7)
आयु 18 और 27 के मध्य (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके चालीस वर्ष की जा सकती है **टिप्पणी :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए ।	(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचलर डिग्री; (ii) कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति । (अंग्रेजी में प्रति मिनट 35 शब्द या हिंदी में प्रति मिनट 30 शब्द के तत्स्थानी प्रत्येक शब्द के लिए पांच कुंजी दाब के औसत से क्रमशः 10500 कुंजी दाब प्रति घंटा या 9000 कुंजी दाब प्रति घंटा)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
8	9	10
लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष **टिप्पणी :** परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह का प्रवेश प्रशिक्षण आज्ञापक है।	**(i)** पच्चीस प्रतिशत, सीधी भर्ती द्वारा ; **(ii)** पचास प्रतिशत पदोन्नति द्वारा ; **(iii)** पच्चीस प्रतिशत, सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
11
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर 2 (19900-63200/- रु0) के ऐसे कनिष्ठ सचिवालय सहायक में से, जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा :** वेतन मैट्रिक्स में स्तर 2 (19900-63200/- रु0) के ऐसे कनिष्ठ सचिवालय सहायक में से, जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण :** सीमित विभागीय प्रतियोगिता के लिए पात्रता की अधिकतम आयु सीमा पैंतालीस वर्ष तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पचास वर्ष है

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
12	13
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-- 1. निदेशक या उप सचिव (प्रशासन) पर्यटन मंत्रालय —अध्यक्ष 2. अवर सचिव (प्रशासन) पर्यटन मंत्रालय —सदस्य 3. सहायक निदेशक (प्रशासन) —सदस्य **समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-** 1. निदेशक या उप सचिव (प्रशासन), पर्यटन मंत्रालय —अध्यक्ष 2. अवर सचिव (प्रशासन), पर्यटन मंत्रालय —सदस्य	लागू नहीं होता।

3. केंद्रीय सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग का अवर सचिव —सदस्य	

[फा. सं. ए12018/4/2023-(प्रशा. I)]

राजेश कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF TOURISM

New Delhi, the 15th January, 2024

G.S.R. 05.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in suppression of the Department of Tourism (Headquarters) Recruitment to Class III posts Rules, 1961, except as respects things done or omitted to be done before such suppression, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Secretariat Assistant in the Ministry of Tourism, namely: -

1. **Short title and commencement**. - (1) These rules may be called the Ministry of Tourism (Headquarters) Senior Secretariat Assistant (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2023.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix. -** The number of the said post, its classifications and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age- limit, qualifications, etc.-** The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification**. - No person, -

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt, any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax**. – Where the Central Governmental is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other backward classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.
(1)	(2)	(3)	(4)
Senior Secretariat Assistant.	15 *(2023) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'Ç', Non-Gazetted, Ministerial.	Level- 4 in the pay matrix (Rs. 25,500-81,100).

Whether selection post or non-selection post.	Age- limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(5)	(6)	(7)
Non - selection.	Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for Government servants up to the age of forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).	(i) Bachelor degree from a recognised University or Institute and ; (ii) A typing speed of 35 words per minute in English or 30

	Note : The Crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	words per minute in Hindi on computer.(35 words per minute and 30 words per minute. correspond to 10500 Key Depressions Per Hour / 9000 Key Depressions Per Hour on an average of five key depressions for each word).

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years for direct recruitment. Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation.	(i) twenty-five per cent. by direct recruitment. (ii) fifty per cent. by promotion; and (iii) twenty-five per cent by limited departmental competitive Examination.

In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committed exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Amongst the Junior Secretariat Assistant in Level-2 in the pay matrix (Rs 19900-63200) with eight years' of regular service in the grade. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Limited Departmental competitive Examination: Amongst the Junior Secretariat Assistant in	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Director or Deputy Secretary (Administration) Ministry of Tourism - Chairperson; 2. Under Secretary (Administration) Ministry of Tourism- Member; 3. Assistant Director (Administration-1) -Member; Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of: 1. Director or Deputy Secretary (Administration) Ministry of Tourism - Chairperson; 2. Under Secretary (Administration) Ministry of Tourism - Member; 3. Under Secretary belonging to another Ministry or Department of the Central Government -Member.	Not applicable.

Level-2 in the pay matrix (Rs 19900-63200) with five years' of regular service in the grade. Note: The maximum age-limit for eligibility for limited departmental competitive examination is forty five years and fifty years for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.		

[F. No. A-12018/4/2023(Admin. I)]

RAJESH KUMAR, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

RAVINDER KUMAR
Digitally signed by RAVINDER KUMAR
Date: 2024.01.30 14:23:53 +05'30'